

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1303/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(129)-2018
लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2018

अधिसूचना


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2-854/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(21)-2017 दिनांक 30-06-2017 और अन्तिम बार संशोधित अधिसूचना संख्या क0नि0-2-518/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(122)-2018 दिनांक 03-04-2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक, अक्षर और शब्द " 30 जून 2018 " के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द " 30 सितम्बर, 2018" रख दिये जायेंगे।

2- यह अधिसूचना तारीख 29 जून, 2018 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,


(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव